

प्रेस विज्ञप्ति थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 10.10.2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध में तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली महोदय के पर्यवेक्षण में दिनांक 10.10.2021 को थाना तिवारीपुर में पंजीकृत मु0अ0स0- 138/2021 धारा 376/506 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट जिसमें अभियुक्त द्वारा वादिनी की भतीजी के साथ जबरदस्ती बलात्कार करना व जान माल कि धमकी देने के संबंध में संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु थाना तिवारीपुर की टीम गठित की गयी थी जिसमें मुखबीर खास के सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हरिश गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता निवासी मकान नं0 250 डुगडुगिया घघसरा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर उम्र 33 वर्ष को रामलीला मैदान सूरजकुण्ड के पास थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर से समय करीब 14.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को थाने पर लाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध जिसमें गिरफ्तारी की गयी-

मु0अ0सं0- 138/2021 धारा- 376/506 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-

रामलीला मैदान सूरजकुण्ड के पास से थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर समय- 14.30 बजे।

गिरफ्तारी टीम के सदस्यों का नाम:-

1. नि0 राजेन्द्र प्रताप सिंह (प्रभारी निरीक्षक थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर)
2. व0उ0नि0 महेन्द्र नाथ चतुर्वेदी (थाना तिवारीपुर, गोरखपुर)
3. का0 दीपक शुक्ला (थाना तिवारीपुर, गोरखपुर)
4. का0 बब्लू कश्यप (थाना तिवारीपुर, गोरखपुर)
5. का0 रणजीत शाह (थाना तिवारीपुर, गोरखपुर)
6. म0का0 अनुपम मिश्रा (थाना तिवारीपुर, गोरखपुर)